न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 41/19

दिनांकः– 04.07.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. वेदराम पुत्र रामसिंह
2. रामबाबू पुत्र नारायण
3. शिवराम पुत्र नारायण
4. रामकिशोर पुत्र नारायण

समस्त जाति गूर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

सायलान

बनाम

1. रामरूप पुत्र गिर्राज
2. रामभरोसी पुत्र मांगीलाल
3. अमरसिंह उर्फ हरिया पुत्र श्रीलाल
4. बिज्जे उर्फ बिजेन्द्र पुत्र श्रीलाल
5. हरकेश पुत्र श्रीलाल
6. रज्जा उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्रीलाल
7. जगदीश पुत्र पूरण
8. घनश्याम पुत्र पूरण
9. रामेश्वर पुत्र रामखिलाडी
10. तारेश पुत्र रामखिलाडी
11. भूरसिंह पुत्र रामभरोसी
12. बबुआ उर्फ रामोतार पुत्र रामरूप
13. भरतसिंह पुत्र मलुवाराम
14. हररूप पुत्र बुधा उर्फ रामहेत

समस्त जाति गूर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

गैरसायलान

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

2. श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः–05.02.2019

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलेडी स्थित आराजी ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 ग्राम बलेडी मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/2 के तथा सायल न0 2, 3, 4 बहिस्सा 1/4 के खातेदार तथा 1/4 हिस्से के सायल न0 2, 3, 4 की मॉ तथा बहिने खातेदार काश्तकार है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सैटलमेन्ट साबिक ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीघा से तरमीम किये गये है। गैरसायलान लठैत, मुठमर्द गिरोहबन्ध व्यक्ति है। जो पैसे के बल पर सायलान को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से महरूम रखना चाहते है, तथा सायलान के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है जबकि उक्त आराजीयात से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। उक्त आराजी को सायल तथा सायल 2, 3, 4 के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा क्रय दिनांक से सायलान उपयोग उपभोग कर रहे है तथा काबिज काश्त है। उक्त आराजी के कुछ हिस्से मे लाखो रूपया लगाकर अपने बुजुर्गो की याद मे भौले बाबा का स्थान बना रखा है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध नही है। सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। पास ही ख0न0 432/651 रकवा 0.09 है0 गै0मु0 देव तथा ख0न0 426/650 रकवा 0.47 है0 चारागाह भूमि है जिस पर गैरसायलान द्वारा कब्जा किया हुआ है। दिनांक 16.06.2019 को सायलान स्वंय की खातेदारी भूमि ख0न0 426/556 से कटीली झाडीया काट रहे थे जिसे गैरसायलान द्वारा नही काटने दिया गैरसायलान सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान भी नही होने देते तथा सायलान को उनकी खातेदारी भूमि से महरूम रखना चाहते है। अतः प्रकरण प्राईमा फेशी सायलान के पक्ष मे है सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष मे है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता फैसला दावा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 ग्राम बलेडी तहसील टोडाभीम के कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न नही करे, सायलान को काश्त मे पडी झाडियो को हटाने से नही रोके, उपयोग मे बाधा उत्पन्न नही करे, ऐसा कोई कार्यवाही ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 5, 9 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील सायलान द्वारा गैरसायल न0 13 के विरूद्व कार्यवाही नही चाहने पर गैरसायल न0 13 के विरूद्व कार्यवाही ड्राप की गई। अप्रार्थीगण 1 से 4, 6, 7, 8, 10 से 12 व 14 की ओर से जरिये वकील जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य दर्ज किये है जो अस्वीकार है। सायलान के पिता व सायलान ने विक्रय पत्र फर्जी तरीके से किया है। जिसके फर्जकारी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बालघाट मे दर्ज करवाई गई है। सायलान का यह कहना भी गलत है कि सायलान ने अपने बुजुर्गो की याद मे भौले बाबा का स्थान बना रखा है जबकि भौले बाबा का स्थान सायलान की खरीद से बहुत पुराना है जिसकी आम जनता बलेडी पूजा करती है। सैकडो वर्षो पूर्व से ही भौले बाबा व भैरो बाबा के मंदिर बने हुये है। जिसमे करीब 400 वृक्ष पीलू व छोकडे के है उक्त देवताओ को आम जनता पूजती है देवताओ की वगीची मे से आम जनता पेड नही काटती है। सायलान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। गैरसायलान विवादित आराजी पर कभी नही गये ओर नाही धमकी दी है। सायलान का प्राईमाफेशी केस साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे सायलान खातेदार काश्तकार है। सायलान के पिता ने पूर्व खातेदार जोहरी पुत्र चिरमोली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1988 मे ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीघा क्रय किया था जिसका नवीन ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 कायम हुये है। खरीद के दिन से ही सायलान पिता के समय से ही काबिज काश्त है। गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार से नही है। गैरसायलान ने सायलान की उक्त आराजीयात के लगी हुई सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा

उपजिला कलक्टर

है अब सायलान की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते है। इसलिये गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से तादावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे। तथा काश्त मे व्यवधान कर रही झाडियो को हटाने से नही रोके।

गैरसायलान के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात मे सैकडो वर्ष पूर्व से देवताओ के स्थान बने हुये है जिन्हे आम जनता ग्राम बलेडी पूजती है सायलान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। सायलान इस भूमि को जबरदस्ती हडपना चाहते है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– पत्रावली मे सलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 91 मे अंकित खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 ग्राम बलेडी की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम बलेडी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 91 मे ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 मे सायलान हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1988 के अनुसार जौहरी पुत्र चिरमोली जाति राणा निवासी बलेडी ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीधा का विक्रय नारायण पुत्र घीस्या एवं वेदराम पुत्र रामसिंह जाति गूर्जर निवासी बलेडी को कब्जा करा दिया है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 62 के अनुसार साबिक ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीधा से नवीन ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 बनना साबित है। सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायलान का उक्त आराजीयात से संबध रहा हो। इस प्रकार यह प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष मे है।

सुविधा का संतुलनः– खातेदारी सायलान के नाम से दर्ज होने से सद्भावी काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। गैर सायलान के पक्ष मे नही है।

अपूर्तनीय क्षतिः– सायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। गैर सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि सायलान के खातेदारी की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

05/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:46:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: